विज्ञापन सूचना का प्रारूप–

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला – मुंगेली (छ.ग.)

tele : 8103160257 *email : nhmmungeli@gmail.com*

क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2026–27 / 937 मुंगेली, दिनांक 01/06/2026

–:: विज्ञापन सूचना ::–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला–मुंगेली (छ.ग.) अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों पर भर्ती किये जाने हेतु अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अभ्यार्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक20/06/2026 को कार्यालयीन समय से सायं 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय–मुंगेली के पास, रामगढ़, जिला–मुंगेली (छ.ग.) में आनलाईन के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि एवं तिथि से विलंब से आवेदन स्वीकार नही होगें। विज्ञापन संबंधी विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें जिले की वेबसाइट **www.mungeli.gov.in** पर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

email: nhmmungeli@gmail.com

क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2026–27 / 934 मुंगेली, दिनांक 01/06/2026

" राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा भर्ती विज्ञापन"

भाग - अ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु जिला–मुंगेली के लिए स्वीकृत आर.ओ.पी. के अनुसार एवं मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार जिला स्वास्थ्य समिति, जिला–मुंगेली अंतर्गत निम्न लिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती किये जाने हेतु इच्छुक योग्यताधारी उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 02/06/2026 से 20/06/2026 तक सायं 05.00 बजे तक जिले के शासकीय वेबसाइट में दिये गये लिंक https://mungelinhms.indicompute.com के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

उक्त संविदा भर्ती से संबंधित समस्त संविदा नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी.) 1966 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी। विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है –

SN	Post Name	Program	Total Post Vacant	Vacant Post Roster				Salary	Qualification
				UR	ST	SC	OBC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Laboratory Technicians - DPHL**	DPHL IDSP+ NPHCE	2	1	1	0	0	14000	1. Higher Secondary (10+2) in Biology with BMLT 2. **A)** Higher Secondary (10+2) in Biology with DMLT **B)** Higher Secondary (10+2) Biology with Paramedical Technician one year certificate (CMLT) Registration in Paramedical council of India or Chhattisgarh Paramedical council. (First Preference will be given to BMLT)
2	**Physiotherapist**	NHM+ NPHCE	3	2	1	0	0	18000	Bachelor's Degree in Physiotherapy (B.P.T) & Live Registration in Chhattisgarh Registration Council.
3	**Pharmacists**	RBSK	1	1	0	0	0	16500	Degree or Diploma in Pharmacy (50%) Registration in Pharmacy Registration Council

18/5/26

SN	Post Name	Program	Total Post Vacant	Vacant Post Roster				Salary	Qualification
				UR	ST	SC	OBC		
4	Nutrition Counsellor/ Feeding Demonstrator - NRC	NRC	1	1	0	0	0	12000	Msc. Home Science/Bsc. Home Science. Experience of working in an equal and equivalent post will be preferred.
5	Aaya Bai	SNCU	3	1	1	1	0	8800	8th Passed
6	Cleaner	SNCU	1	0	1	0	0	8800	8th Passed
7	Staff Nurse (12 Bedded HDU/ ICU), + (Paediatric Ward 30 Bedded), NRC	PICU/ HDU	27	13	3	7	4	16500	B.Sc. Nursing **OR** GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Council Registration Council. (1 post (OL) for UR Category)
8	Nursing Officer	NPHCE	12	6	1	3	2	16500	B.Sc. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Council Registration Council.
9	Audiologist	NPHCE	1	1	0	0	0	25000	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology (BASLP)/ B.S.C. (Speech and Hearing) from RCI recognized Institute.
10	Counsellor	NPHCE+ NHM	4	1	1	1	1	12000	PG Degree/Diploma in Psychology/Consoling/Health Education/Mass Communication/MSW
11	Community Health Officer	AAM/ HWC	21	11	2	5	3	16500	B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council
12	Counsellor - Blood Bank	Blood Bank	1	1	0	0	0	12000	PG Degree/Diploma in Psychology/Consoling/Health Education/Mass Communication/MSW. Experience of working in an equal and equivalent post will be preferred.
13	Radiographer	NHM	2	0	1	1	0	15000	1. 10+2 passed with science subject. 2. X-ray Technician/ Radiographer course with Live Registration in CG paramedical Council.
14	Attendant - NPHCE (HA)	NPHCE	4	3	0	0	1	8800	12th Passed

18/5/26

SN	Post Name	Program	Total Post Vacant	Vacant Post Roster				Salary	Qualification
				UR	ST	SC	OBC		
15	**Attendant - NPHCE (SA)**	NPHCE	4	3	0	0	1	8800	12th Passed
16	**MPW (Male) - UHWC**	NUHM	2	0	1	0	1	14000	Must have passed Higher Secondary Examination (10+2) examination with Biology subject One year Diploma in Multipurpose Worker Training or equivalent training from training centre recognized by the state Government with registered in Chhattisgarh Paramedical Council.
17	**Jr. Secretarial Assistant - NHM**	NHM	5	1	0	2	2	12000	12th Passed with at Least 01 Year Computer Diploma.
18	**Jr. Secretarial Assistant - LDC - UHWC**	NUHM	3	2	0	0	1	12000	12th Passed with at Least 01 Year Computer Diploma.
19	**Class-IV- UHWC**	NUHM	1	1	0	0	0	10000	10th Passed
20	**Peer Supporter**	NVHCP	1	1	0	0	0	10000	The peer supporter should be a person preferably with or recovered from the disease (hepatitis B or hepatitis C), with a minimum of intermediate (12th (from science) level education. S/he must also have sound knowledge of the local language and working knowledge of English **OR** Family member/known of a person with or recovered from the disease (hepatitis B or hepatitis C) with a minimum of intermediate (12th) from science) level education.
21	Block Data Manager	NHM	1	0	0	1	0	21000	Graduate (55%) & PGDCA OR BCA (55%)
22	Secretarial Assistant - NHM	NHM	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	13650	12th Passed with at Least 01 Year Computer Diploma.
23	RMA	NHM	**5**	**2**	**1**	**1**	**1**	25000	Practitioner in Modem and Holistic Medicine (PMHM) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल द्वारा पंजीकृत होनाा अनिवार्य है।
	Total		**106**	**52**	**15**	**22**	**17**		

Sk Sahu 18/5/26

भाग - ब

विज्ञापन नियम एवं शर्ते

1. आवेदन संबंधी दिशा निर्देश :–

1. आवेदन दिनांक 02/05/2026 से 20/06/2026 तक सांय 05:00 बजे तक वेबसाईट https://mungelinhms.indicompute.com के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
2. **सभी पद पूर्णतः संविदा है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अधीन है, तथा संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण ("सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रकिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी.) कमांक/19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्ययीन होगी")**
3. **आवेदन**– आवेदन ऑनलाईन के माध्यम से लिया जावेगा एवं आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये दिशा–निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन करें।
4. विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते व दिशा निर्देश एवं चयनित उम्मीदवारो की सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य जानकारियां समय–समय मे जिले की वेबसाइट **https://mungeli.gov.in/** सें देखी व डाउनलोड की जा सकेगी एवं अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दिया जायेगा। समयानुसार अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी।
5. अभ्यर्थी को इस विज्ञापन में दिये गयें निर्देशो एवं नियम –शर्तो को पढकर दिये गये लिंक https://mungelinhms.indicompute.com/ पर क्लिक कर दिनांक 20/06/2026 तक शाम 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन करना होगा एवं आवश्यकतानुसार दस्तावेज अपलोड करना होगा। इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। आधे–अधुरे आवेदन, दस्तावेज संलग्न नही करे एवं गलत अथवा झुठे जानकारी दिये जाने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों (अधिकतम तीन पद) के लिए आवेदन करना चाहता है तो आनलाईन लिंक में दिये गये अनुसार केवल एक बार ही आवेदन करना होगा। अलग–अलग पदो के लिये अलग–अलग आवेदन करने के की आवश्यकता नहीं है।
6. निर्धारित तिथि व कार्यालयीन समय उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

18/5/26

7. अभ्यर्थी छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे। प्रत्येक आवेदक को चाहिए की विज्ञापन में दिए गए निर्देशों नियम एवं शर्ते को पढ़कर तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर, सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्ण आवेदन होने पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

9. उपरोक्त पदो पर आवेदन के समय समस्त शैक्षणिक दस्तावेज मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/ विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर से संबंधित डिग्री/डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से होना अनिवार्य है।

10. आवेदन के साथ अनिवार्य/वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की पूर्ण अंकसूची की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

11. आवेदक द्वारा संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र स्वयं आवेदक द्वारा नीले पेन से अपना हस्ताक्षर कर स्व प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।

12. ऑनलाईन आवेदन पूर्ण रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात् अपलोड (Submit) करेंगे तथा भरे हुये आवेदन का ऑनलाइन पावती के साथ प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखेंगे । ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से साथ लाना होना ।

13. उम्मीद्वारों को ऑनलाइन आवेदन के समय समस्त अनिवार्य दस्तावेज (शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास पंजीयन, दिव्यांगता पंजीयन, अन्य अर्हता पंजीयन (कांउसिल पंजीयन) के अनुसार विवरण प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

14. दस्तावेजों परीक्षण/सत्यापन के समय ऑनलाइन भरे हुए आवेदन एवं प्रस्तुत किये गये संबंधित दस्तावेज के विवरण मे असमानता पाये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी अथवा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

15. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित काउंसिल से पंजीयन/मान्यता, विज्ञापन जारी होने के दिनांक के पूर्व का होना अनिवार्य होगा।

18/5/26

16. विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित समस्त शैक्षिणक योग्यता,कार्य अनुभव तथा समस्त पंजीयन विज्ञापन जारी दिनांक के पूर्व का होना अनिवार्य है।

17. **जिन पदों की शैक्षणिक योग्यता या अंकसूची में ग्रेड अंकित है, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने शिक्षण संस्था प्रमुख/प्राचार्य के द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंकों (प्रतिशत सहित) में कराकर ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा तथा दस्तावेज परीक्षण के समय उक्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन अमान्य कर अपात्र किया जावेगा।**

18. आवेदक एक से अधिकतम तीन पदों के लिये आवेदन कर सकते है किन्तु पृथक–पृथक पदों के लिये आवेदन करने पर अलग–अलग पदो के लिये मिलाकर एक साथ शुल्क देय होगा। जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा किया गया कोई दावा मान्य नही होगा।

19. आवेदक द्वारा विज्ञापन मे दिये गये **QR CODE** को स्कैन कर आवेदन शुल्क का भुगतान कर प्राप्त **Transaction ID Number** को ऑनलाईन आवेदन मे प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

20. आनलाईन आवेदन में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सहयोग हेतु निम्नलिखित वाट्सअप नंबर 9109198889 एवं ईमेल आईडी से nhmrecuitmentmungeli@gmail.com से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

2. <u>आवेदन शुल्क</u> :

2.1 आवेदन शुल्क **"District Health Society - Non NRHM - Other Fund A/c 32266834946"** भारतीय स्टेट बैंक के मुंगेली शाखा के नाम पर दिये गये यूपीआई (UPI) आईडी के बारकोड के माध्यम से देय होगी।

2.2 आवेदन शुल्क यूपीआई (UPI) के माध्यम से डिजिटल पेमेंट करना होगा। इस हेतु आनलाईन आवेदन में बारकोड के माध्यम से आवेदन शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। बारकोड के माध्यम से आवेदन शुल्क भुगतान करने के बाद दिये गये लिंक में यूटीआर नंबर (UTR NUMBER) एवं दिनांक लेख करना होगा। इसके साथ ही शुल्क भुगतान का Receipt का Screenshot अपलोड करना होगा।

2.3 बिना आवेदन शुल्क तथा निर्धारित राशि से कम राशि के आवेदन शुल्क वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा।

18/5/26

2.4 एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने पर सभी पदो के लिए अलग–अलग आवेदन शुल्क का कुल राशि एकमुश्त यूपीआई के माध्यम से भुगतान करना होगा।

2.5 **आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–**

वर्ग	आवदेन शुल्क
दिव्यांग / अ.जा. / अजजा / महिला	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	200
अनारक्षित वर्ग	300

आवेदक द्वारा QR कोड स्कैन कर आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

नोट– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किये जाने पर नियमानुसार शुल्क का भुगतान किया जाना होगा।

3. **आरक्षण** :–

3.1 संविदा नियुक्ति के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं रोस्टर का पालन किया जावेगा। छ0ग0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम / निर्देश जो समय–समय पर जारी किये गये है, लागू किये गये है।

3.2 संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण व अन्य शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 एवं मानव संसाधन नीति 2018 के यथासंभव संशोधित नियमों के सभी नियम व शर्तो के अनुसार लागू होंगे।

3.3 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग में रखा जायेगा।

3.4 दिव्यांग आवेदको को छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. / एफ / 20–4 / 2014 / आ. प्र. / 1–3 नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होगें जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो, जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है उन्हे समक्ष मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नर्सिंग कैडर (स्टाफ नर्स / नर्सिंग ऑफिसर / सी.एच.ओ.) के दिव्यांग पद हेतु केवल (OL-One Leg) एक पैर दिव्यांग ही पात्र होगें।

18/5/26

4. आयु सीमा :

4.1 संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जायेगी।

5. भर्ती प्रक्रिया :– (आवेदन / पात्र-अपात्र / दस्तावेज सत्यापन / कौशल परीक्षा)

5.1 प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत दावा–आपत्ति हेतु पात्र–अपात्र अभ्यार्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन जिले के वेबसाईट https://mungeli.gov.in/ में पृथक से किया जायेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से कोई भी सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।

5.2 दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार का नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा। मूल आवेदन मे दिये गये विवरण के आधार पर दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जावेगी एवं दावा आपत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जायेगा। सत्यापन के समय किसी भी मूल दस्तावेज के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

5.3 दावा–आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पोर्टल में लॉग–इन कर चयन समिति द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रारूप मे ही दावा–आपत्ति कर निर्धारित तिथि तक आवेदन करना अनिवार्य होगा।

5.4 उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों की योग्यता के आधार पर पात्र/अपात्र करने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा।

5.5 विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा।

5.6 दावा आपत्ति आवेदन हेतु दावा आपत्ति मंगाये जाने हेतु पृथक से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप जारी किया जावेगा। दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही ऑनलाईन दावा आपत्ति स्वीकार किये जायेंगे। दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। दावा आपत्ती हेतु आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।

5.7 दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा। मूल आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जावेगी एवं दावा आपत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जायेगा।

5.8 विज्ञापन व भर्ती प्रक्रिया के समय तथ्यात्मक/लिपिकीय/रिक्तियों/टंकन आदि संबंधित त्रुटि सुधार किया जा सकेगा, जिसकी सूचना विधिवत प्रकाशित किया जावेगा।

5.9 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय विभाग/शासन द्वारा वित्त पोषित संस्था द्वारा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण से सेवा समाप्त की गई है तो उन्हें अपात्र उम्मीदवार की श्रेणी में रखा जावेगा।

5.10 नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

5.11 विशेष कारणों से विज्ञापित पद अथवा संपूर्ण विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकारी चयन समिति को होगा।

5.12 योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः नवीन विज्ञापन जारी कराया जा सकेगा।

5.13 विज्ञापित पदों में बैकलाग पद शामिल है।

5.14 भर्ती एवं सेवा अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जारी "मानव संसाधन नीति 2018" एवं मानव संसाधन नीति 2018 के यथासंभव संशोधित नियमों तथा उच्च कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देश आदि मान्य होगें।

5.15 निर्धारित समय सीमा में प्राप्त पात्र आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन/लिखित परीक्षा/कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट/क्लीनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जावेगा।

<u>तालिका</u> –

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

5.16 अभ्यर्थियों को लिखित तथा कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित अंको (20 अंक) का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में न्यूनतम अंक (6 अंक) प्राप्त नही किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अपात्र रहेंगे।

5.17 परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट/क्लीनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट के समय आवेदन में उल्लेख किये गये विवरण अनुसार संबंधित समस्त मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सत्यापन के समय किसी भी मूल दस्तावेज के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नही दी जावेगी।

5.18 जिन विज्ञापित पदों में नर्सिंग/पैरामेडिकल कॉन्सिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है, उन पदों हेतु जीवित पंजीयन विज्ञापन जारी होने के दिनांक के पूर्व का अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अपात्र किये जावेंगे।

6. दस्तोवज सत्यापन :–

6.1 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिये। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात दस्तावेज जॉच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी अथवा भ्रामक हो, तो उन्हें अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, चयन के पूर्व/पश्चात् किसी भी समय, किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता का होगा।

6.2 **लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/ कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट/ क्लीनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति एंव एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा :–**

- ❖ 08वीं की अंकसूची (पद क्रमांक 05 एवं 06 हेतु) ।
- ❖ 10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- ❖ बारहवीं/स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची।
- ❖ मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर की डिप्लोमा/डिग्री की अंकसूची।
- ❖ छ.ग. काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- ❖ छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र।

18/5/26

- ❖ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- ❖ यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र / पहचान पत्र (यू.डी.आई.डी.) मेडिकल बोर्ड से 40 प्रतिशत से अधिक का जीवित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ❖ पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आई.डी. / पेन कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता एवं फोटो हो)।
- ❖ अनुभव प्रमाण पत्र।
- ❖ वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (लागू हो तो)।
- ❖ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- ❖ अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)।

(उपरोक्त कम अनुसार ही अभ्यर्थी स्वप्रमाणित वांछित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगें।)

7. <u>अनुभव प्रमाण पत्र</u> –

7.1 अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे।

7.2 **जिन पदो में अनुभव मांगा गया है, अनुभव प्रमाण पत्र केवल, जिले के विभाग प्रमुख (शासकीय संस्थान) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों (यथा SHRC) या उपक्रम का ही मान्य होगा।** अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य की जायेगी।

7.3 अनुभव में अंकों की गणना एवं एक संस्था में एक पद पर 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष का अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जावेगी।

7.4 कार्य अनुभव के अंक अधिकतम 05 वर्षो वर्षो के लिए प्रदाय किये जायेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का कार्य अनुभव 05 वर्ष से ज्यादा वर्षो का होगा तब भी अधिकतम 05 वर्षो के लिए अंक प्रदाय किये जायेंगे।

18/5/26

7.5 अनुभव विज्ञापित/आवेदित पद अनुसार संबंधित क्षेत्र/समान कार्य प्रकृति के होने पर ही मान्य किया जावेगा, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सर्वाधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।

7.6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विज्ञापित ऐसे समस्त पद जिसमें अनुभव चाहा गया है उनमे सामान्य अभ्यर्थियों को जो किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्य करने का अनुभव हैं उन्हें प्रतिवर्ष 02 अंको के मान से अधिकतम 10 अंक देय होगा।

7.7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति 2018 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को पद से संबधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 03 अंको मान से अधिकतम 15 अंक देय होगा।

7.8 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग.के पत्र कमांक/एन.एच.एम/2018/591/922 रायपुर दिनांक 30.06.2018 के परिपालन में नर्सिंग अथवा ए.एन.एम प्रशिक्षित मितानिन एवं मितानिन प्रशिक्षक के रूप में (प्रतिवर्ष 04 अंक) अनुभव हेतु अंक दिया जावेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के संविदा ए.एन.एम. पदो के लिए उपरोक्त प्रावधान 31 दिसम्बर 2017 तक ए.एन.एम. पाठयक्रम में उत्तीर्ण हो चुकी मितानिनों के लिए ही लागू होगा। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। शासन के निर्देशानुसार मितानिनों का अनुभव नियमानुसार अधिकतम 20 अंक दिये जाने का प्रावधान है।

7.9 अवर सचिव छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्र. एफ 1–67/2021/सत्रह–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07.12.2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छ0ग0 राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा । किसी भी अभ्यर्थी को सामान्य कार्य अनुभव एवं कोविड–19 के तहत कार्य अनुभव दोनों प्रकार के कार्य अनुभव का एक साथ अनुभव के अंक प्रदाय नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को या तो सामान्य कार्य अनुभव का अंक मिलेगा अथवा कोविड–19 अंतर्गत कार्य अनुभव का अंक मिलेगा । इस हेतु सामान्य प्रकार के कार्य अनुभव एवं कोविड–19 के तहत कार्य अनुभव में से जो भी अधिकतम होगा उसका अंक अभ्यर्थी को प्रदाय किया जाएगा अर्थात NHM/Non NHM अथवा SDRF/DMF/CSR/JDS इत्यादि में से प्राप्त अधिकतम अनुभव अंक को ही लिया जावेगा।

18/5/26

7.10 शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जायेगा।

7.11 अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का ओवरराइटिंग/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जायेगा।

7.12 स्वास्थ्य विभाग एवं एन.एच.एम. मे पूर्व कार्य अनुभव हेतु अनुभव प्रमाण पत्र मे केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर मान्य होगे।

7.13 आवेदन के साथ कार्य अनुभव का नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। अन्यथा अनुभव का अंक प्रदाय नही किया जा सकेगा।

7.14 आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का जावक क्रमांक व तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

7.15 निशुल्क मानदेय का अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जायेगा तथा नियोक्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जायेगा।

7.16 अनुभव अंक हेतु संबधित नियुक्ति पत्र एवं पिछले छः माह का सैलेरी स्लीप आवेदन मे संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा अनुभव अंक नही दिया जा सकेगा । सेलेरी स्लीप संलग्न नहीं करने की स्थिति में अनुभव का अंक प्रदाय नहीं किया जा सकेगा एवं शून्य अनुभव अंक माना जायेगा।

8. अंतिम चयन सूची का आधार :—

8.1 चयन प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित हैः—

अंतिम चयन सूची का आधार -

- शैक्षणिक योग्यता + अनुभव अंक (पद क्रमांक 5,6,19 हेतु)
- शैक्षणिक योग्यता + अनुभव अंक + कौशल परीक्षा अंक (पद क्रमांक 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 हेतु)

18/5/26

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>पद विवरण</th><th>पदनाम</th><th>चयन प्रक्रिया हेतु अंक निर्धारण</th></tr>
<tr><td>01.</td><td rowspan="3">नर्सिंग कैडर कौशल परीक्षा</td><td>Community Health Officer</td><td rowspan="3">1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत – 65% अंक
2. कौशल परीक्षा – 20 अंक
3. अनुभव –10/15/20 अंक
• एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव हेतु अधिकतम 15 अंक
• अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक प्रदाय किया जायेगा।
• जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए अधिकतम 20 अंक (प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक) (31 दिसम्बर 2017 तक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण मितानिनों के लिए लागू होगा। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण ही मान्य होगा।

(अंतिम चयन सूची = शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक + कौशल परीक्षा)</td></tr>
<tr><td>02.</td><td>Nursing Officer</td></tr>
<tr><td>03.</td><td>SN
(HDU/PICU/NRC / Paediatric)</td></tr>
<tr><td>04.</td><td rowspan="14">पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य हेतु वस्तुनिष्ठ कौशल परीक्षा</td><td>Physiotherapist (NHM)</td><td rowspan="14">1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत – 65% अंक
2. कौशल परीक्षा – 20 अंक

अनुभव के अंकः–

• एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव हेतु अधिकतम 15 अंक
• अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक प्रदाय किया जायेगा।

(अंतिम चयन सूची = शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक + कौशल परीक्षा)</td></tr>
<tr><td>05.</td><td>Counsellor</td></tr>
<tr><td>06.</td><td>Counsellor – Blood Bank</td></tr>
<tr><td rowspan="2">07.</td><td>Laboratory Technicians</td></tr>
<tr><td>RMA</td></tr>
<tr><td>08.</td><td>(DPHL/BPHU)</td></tr>
<tr><td>09.</td><td>Radiographer (NHM)</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Pharmacist (RBSK)</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>MPW(M)</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Audiologist</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Peer Supporter</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Attendant - NPHCE (HA)</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Attendant – NPHCE (SA)</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Feeding Demonstrator - NRC</td></tr>
</table>

18/5/26

क्र.	पद विवरण	पदनाम	चयन प्रक्रिया हेतु अंक निर्धारण
17	कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा	BDM	1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत – 65% अंक 2. कौशल परीक्षा – 20 अंक **अनुभव के अंकः–** ❖ एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव हेतु अधिकतम 15 अंक ❖ अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक प्रदाय किया जायेगा। (**अंतिम चयन सूची** = शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक + कौशल परीक्षा)
18		Secretarial Assistant (NHM)	
19		Jr. Secretarial Assistant (NHM)	
20		Jr. Secretarial Assistant – LDC- UHWC	
21	मेरिट के आधार	Class 4	1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत – 90% अंक **अनुभव के अंकः–** ❖ एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव हेतु अधिकतम 15 अंक ❖ अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक प्रदाय किया जायेगा। (**अंतिम चयन सूची** = शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक)
22		Cleaner	
23		Aaya Bai	

(Class 4 – Class4, Aaya Bai & Cleaner पद पर आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण हैं, वे संबंधित स्कूल/विभाग के प्राचार्य/प्रधान पाठक/उच्चाधिकारी से हस्ताक्षर एवं सील युक्त, प्राप्तांक व पूर्णांक की जानकारी प्राप्त कर, आवेदन में संलग्न करें। आवेदन के साथ प्राप्तांक व पूर्णांक वाली अंकसूची प्रस्तुत नहीं करने पर अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा।)

8.2 **Community Health Officer (CHO)** के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन पर अंकित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी (बीएससी नर्सिंग/पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंतिम वर्ष की अंकसूची में अंकित एग्रीगेट अंक को आवेदन में भरा जावे) इसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

18/5/26

8.3 **Community Health Officer (CHO)** के पद पर ऐसे अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc.Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) उत्तीर्ण हो उन्हे विज्ञापन में संलग्न **Appendix -1** अनुसार Integrated Course उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

8.4 **Community Health Officer (CHO)** पद हेतु नर्सिंग काउसिलिग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य हैं, छ.ग. नर्सिंग काउसलिंग मे जीवित पंजीयन नही होने की स्थिति में चयन के पश्चात् 45 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा। पंजीयन हेतु जमा की गई चालान / रसीद की फोटोकॉपी संलग्न किया जाना है।

8.5 चयन प्रक्रिया हेतु अंको का निर्धारण विज्ञापन में संबंधित पद अनुसार मापदण्ड अनुरूप दिया जायेगा।

8.6 कौशल परीक्षा – 20 अंक (पद के अनुरूप कौशल परीक्षा के अनंसार/कंप्यूटर आधारित परीक्षा/वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर तथा आवश्यकतानुसार प्रेक्टिल टेस्ट परीक्षा आदि के माध्यम से चयन समिति के द्वारा कौशल परीक्षा ली जा सकेगी। किसी भी पद हेतु साक्षात्कार आयोजित नहीं किये जायेगें। आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा हेतु 10 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 10 अंक का प्रेक्टिल टेस्ट परीक्षा लिया जा सकेगा।

8.7 अभ्यर्थियों को लिखित तथा कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित अंको (20 अंक) का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में न्यूनतम अंक (6 अंक) प्राप्त नही किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अपात्र रहेंगे। आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा जिला मुख्यालय में ली जावेगी। जिसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता भुगतान नहीं किया जावेगा।

8.8 पद क्रमांक 05,06 व 19 का चयन मेरिट अंक के आधार पर किया जायेगा। उक्त पदों हेतु कौशल परीक्षा आयोजित नहीं किया जायेगा।

8.9 आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा स्थान की जानकारी एवं भर्ती संबंधी अन्य जानकारियॉ समय–समय पर जिले की शासकीय वेबसाइट **https://mungeli.gov.in/** एवं कार्यालयीन सूचना पटल में उपलब्ध कराई जावेगी।

18/5/26

8.10 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन/चयन अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

9 प्रतीक्षा सूचीः–

9.1 विज्ञापित पदों के लिए चयन सूची के साथ प्रवर्गवार प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता सूची प्रकाशन तिथि से न्यूनतम 01 वर्ष या अगली नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने (जो पहले हो) तक होगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची में भरा जा सकेगा।

9.2 पदवार रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त शेष समस्त अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, जिससे भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सके।

9.3 प्रतीक्षा सूची में वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की संख्या में वृध्दि करने के लिये चयन समिति सक्षम रहेगा।

10 <u>संविदा अवधि /वेतन निर्धारण</u> :–

10.1 यह नियुक्ति संविदा आधार पर दिनांक 31 मार्च 2027 तक के लिए की जावेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सेवा अवधि में वृद्वि की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृध्दि की कार्यवाही की जावेगी।

10.2 संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त संविदा वेतन व अन्य राशि प्रावधानित ROP अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

10.3 चयनित अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा एक माह के अग्रिम नोटिस या एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी अथवा अधिकारी /कर्मचारी एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का वेतन जमा कर स्वयं पद त्याग कर सकता है।

10.4 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) के रूप में कार्य करने के दौरान प्रतिमाह राशि 16500/– (सोलह हजार पांच सौ रूपये मात्र) वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance Based Incentive) प्रतिमाह अधिकतम राशि रूपये 15000/– तक दी जायेगी। इस संबंध में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगें।

18/5/26

भाग - स

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश

1. सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है जिनकी भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 अनुरूप की जावेगी।
2. **संविदा मानदेय** :– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आर.ओ.पी. (NHM) अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नही होगा।
3. उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2027 तक के लिये होगी, कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि में वृद्धि की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।
4. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देनी होगी या एक माह का वेतन जमा करना होगा।
5. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थीयों की जन्म तिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होगे) प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। उम्र की गणना 01 जनवरी 2026 के आधार पर की जावेगी।
6. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
9. विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।

18/5/26

10. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रकिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगा।

11. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

12. आवेदकों को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय देय नही होगा।

14. शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

15. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति एवं जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति का होगा। जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

16. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा से समाप्त की गई है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हे अपात्र उम्मीदवारों की संज्ञा में रखा जावेगा।

17. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है या निरस्त भी किया जा सकता है। जिसका अधिकार चयन समिति/नियोक्ता का होगा।

18. आरक्षण – मुंगेली जिले हेतु प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।

19. दावा आपत्ति में अभ्यर्थियो द्वारा अलग से प्रस्तुत कोई भी विवरण मान्य नही किया जावेगा। पूर्व में आवेदन के साथ संलग्न विवरण के संबंध में प्रस्तुत दावा ही मान्य किये जावेंगे।

20. प्रकाशित प्रारंभिक पात्र–अपात्र सूची का अवलोकन अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा दावा आपत्ति उपरांत किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

18/5/26

21. पद क्र **5 ,6 एवं 19** हेतु यदि प्राप्तांक ग्रेड में दर्शित हो तो ग्रेडिंग पद्धति संबंधी अंकसूची के साथ कुल पूर्णांक व प्राप्तांक एवं प्रतिशत से संबंधित सत्यापित (संस्था प्रमुख) दस्तावेज अनिवार्य रूप से दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत करेंगे।

22. जिन विज्ञापित रिक्त पद में शैक्षणिक योग्यता ''एक से अधिक'' या ''अथवा'' के रूप में चाही गई हो उन पदों में अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक शैक्षणिक योग्यता संलग्न किये जाने पर केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता को मान्य किया जावेगा।

23. संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि रू. 50/- के गैर न्यायिक बंध पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा। अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

24. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

25. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी,एवं चयन प्रकिया एवं परिणाम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुंगेली के वेबसाईट https://mungeli.gov.in/ पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से जानकारी नहीं दी जावेगी।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– मुंगेली (छ0ग0)

आवेदन हेतु लिंक–https://mungelinhms.indicompute.com
शुल्क भुगतान हेतु **QR CODE**

SBI
STATE HEALTH SOCIETY NON NRHM
SCAN & PAY

UPI ID: dam.balod@sbi